UPPCL

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN : U32201UP1999SGC024928
शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्याः **I/33516/2025- GMIR0MDCL(2)/16/2025** दिनांक 08-12-2025

कार्यालय-ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के कार्यालय ज्ञाप सं०–2521–औ०सं०–17/पकालि/2022 दिनांक 07.07.2022 द्वारा दिनांक 30.04.2023 तक मान्यता प्राप्त चन्द्रा मदर एण्ड आई केयर पा०लि०, 4/43 विवेक खण्ड गोमती नगर, लखनऊ की मान्यता चिकित्सालय प्रबन्धन से प्राप्त समस्त वांछित अभिलेख एवं मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ द्वारा नवीनीकृत पंजीकरण प्रमाण–पत्र जो दिनांक 25-06-2030 तक वैध है, के दृष्टिगत कारपोरेशन के आदेश सं०–4452-औ०सं०–17/पाकालि/02 दिनांक 09.12.2002 एवं आदेश सं०–2691–औ०सं०/पाकालि/2016, दिनांक 29.06.2016 तथा आदेश सं0-3330-औसं/2018-11(28) ए0एस0/2004 (Vol-2015/CGHS) दिनांक 08 अगस्त, 2018 एवं अन्य पुनरीक्षित आदेशों में निहित प्राविधानों/मानको एवं अनुमोदित सी०जी०एच०एस०–2014 की मानक दरों के अधीन तदनुक्रम में पूर्व निरन्तरता के साथ दिनांक 01.05.2023 से दिनांक 30.04.2026 तक एतद्द्वारा निम्न प्रतिबन्धाधीन बढ़ायी जाती है:–

1.चिकित्सालय को जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत वैध पंजीयन प्रमाण–पत्र यदि उनको प्रदान की गयी मान्यता अवधि से पूर्व समाप्त हो जाता है, या समाप्त कर दिया जाता है तो, चिकित्सालय की मान्यता उस दिनांक से स्वतः समाप्त हो जायेगी।

2.चिकित्सालय को विभाग द्वारा अनुमोदित दरों के अतिरिक्त अन्य कोई चार्ज देय न होंगे। किसी भी प्रकार का परामर्श शुल्क देय न होगा।

3.चिकित्सालय परिसर में एक साइन बोर्ड लगाना होगा जो यह दर्शायेगा कि ''उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा दिनांक 30.04.2026 तक के लिए मान्यता प्राप्त चिकित्सालय"।

4.चिकित्सालय को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड का एक रजिस्टर अलग से रखना होगा और हर 15 दिनों में निम्नलिखित सूचना कारपोरेशन को भेजनी होगी:-

(क) रोगी का नाम/पदनाम/वेतनमान/नियुक्ति स्थान/आयु एवं लिंग।

(ख) पूर्णतः आश्रित होने की दशा में रोगी का कार्मिक से सम्बन्ध।

(ग) अस्पताल में भर्ती होने एवं डिस्चार्ज होने की तिथि।

(घ) कार्मिक का वेतनमान।

(ड़) रोग का नाम (डाइग्नोसिस)।

(ड़) कुल चार्ज की गई धनराशि।

5.चिकित्सालय अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार के साथ-साथ वाह्य रोगी के रूप में गम्भीर रोगों हेतु लम्बी अवधि तक चलने वाली बीमारियों का उपचार कराने हेतु भी मान्य होगा। वाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार के सम्बन्ध में कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0-2335-औ0सं0-17/पाकालि/2020 दिनांक 27.08.2020 द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।

6.उक्त चिकित्सालय उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के साथ-साथ उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०/उ0प्र0एस0एल0डी0सी0 लि0 एवं उ०प्र० जल विद्युत निगम लि० के कार्मिकों/पेंशनरों एवं उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों के उपचार कराने हेतु भी अधिकृत होगा।

7. चिकित्सालय प्रबन्धन को यह वचन पत्र देना होगा कि वह CGHS-2014 एवं अन्य पुनरीक्षित आदेशों की मानक दरों पर उपचार करने हेतु सहमत है।

8. यदि चिकित्सालय द्वारा अनिवार्य रूप से भोजन दिया जाता है तो चिकित्सालय के बीजकों में भोजन की मद हेतु रू० 50/- प्रतिदिन की कटौती कर ली जायगी।

9.कारपोरेशन के प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि चिकित्सालय द्वारा विभागीय नियमों, प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने, विभाग द्वारा निर्धारित चिकित्सा दरों से विचलित होने अथवा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डों से अनावरित पाये जाने की दशा में चिकित्सालय की मान्यता समाप्त करने का निर्णय लिया जा सकता है।

निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्याः-I/33516/2025(1) औसं-17/पाकालि/2025-तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन मुख्यालय के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ/उ0प्र0एस0एल0डी0सी0 लि0, विभूति खण्ड-2,गोमती नगर, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का0 प्र0 एवं प्रशा0)/(वितरण)/(वित्त),(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग)/(आई0टी0) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के

निजी सचिव।

4. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0, मध्यॉंचल, लखनऊ / पूर्वान्चल, वाराणसी /पश्चिमांचल , मेरठ / दक्षिणांचल, आगरा एवं केस्को, कानपुर।
5. निदेशक (का0 प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त/प्रशासन/कारपोरेट टैक्स), उप-मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
8. महाप्रबन्धक (का0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, 12वॉं तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता (हाइडिल), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण/पारेषण) को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेशित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
11. महाप्रबन्धक (औ0सं0) / उप महाप्रबन्धक (औ0सं0) / कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
12. महाप्रबन्धक (चिकित्सा) / मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
14. कम्पनी सचिव, पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0-407, शक्ति भवन विस्तार को कारपोरेशन की वेबसाइट–www.uppcl.org-medical पर अपलोड करने हेतु।
16. जिला पंजीकरण प्राधिकारी, लखनऊ।
17. प्रबन्धक, चन्द्रा मदर एण्ड आई केयर प्रा०लि०, 4/43 विवेक खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।
18. कट फाइल।

08-12-25

(लोकेन्द्र सिंह)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी